ग्राम पंचायत भडवार, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षणअवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 **प्रस्तावना:-**

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ,भडवार विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति अमृता देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री परमजीत सिंह	23-01-16 से लगातार

सचिव /सहायक :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री प्यार सिंह	25-10-11 से 12-02-17
2.	श्री रजिन्द्र कुमार	13-02-17 से 15-03-17
3.	श्री किरन बाला	16-03-17 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	4.2	रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान न करने के कारण अन्तर	0.53
2.	6	पंचायत राजस्व की वसूली का शेष पाया जाना	0.38
3.	7	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना	0.36
4.	7.1	अनुदानों का उपयोग न करना	14.75
5.	8	औपचारिकताए पूर्ण किए बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय करना	10.23
6.	9	निर्माण सामग्री का स्टॉक इंदराज न करना	14.65

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत **भडवार** विकास खण्ड वतहसील नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि **01/4/2014 से 31/03/2017** के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँचपरीक्षण, जिसके परिणाम

अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है,श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक **21-05-2017 से 26-05-2017** तक के दौरान पंचायत कार्यालय **भड़वार** में किया गया। आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह **01/15,07/15 व 12/16** तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह **01/15,05/15 व 04/16** को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदनका प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत **भडवार** विकास खण्ड **नूरपुर** जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5000/-**बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:104 **दिनांक 26-04-17** द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत **भडवार** से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत भडवार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत भडवार के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	126975	13723	**140698**	58701	**81997**
2015-16	81997	71266	**153263**	71770	**81493**
2016-17	81493	55571	**137064**	56360	**80704**

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत भडवार के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	519316	2596078	**3115394**	2514965	**600429**
2015-16	600429	4275793	**4876222**	3704667	**1171555**
2016-17	1171555	3955673	**5127228**	3651930	**1475298**

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB bhadhwar	50055542391	1278473
2.	----do------	50055542629	1257
3.	----do------	50055542595	732
4.	----do------	50055542437	959
5.	----do------	50055542573	33429
6.	----do------	20142008180	77891
7.	----do------	20142008248	3514
8.	HGB BHADHWAR	87800100048411	106934
		cash in hand	76
		TOTAL	1503265

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1503265

(ख) दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):- ₹1556002

अन्तर 52737

4.2 रोकड़ वही व बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹0.53 का अन्तर:-

ग्राम पंचायत भड़वार की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.3.16 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अंतशेष में ₹52737 का अन्तर था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों दे साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा । यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा । इसी तरह,नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और ऋण मानी जाएंगी। इस आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा।

परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ बही व आठ ही पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.38 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹0.38 लाख की वसूली शेष थी ।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	6580	12300	18880	11090	7790
2015-16	7790	35060	42850	42260	590
2016-17	590	36150	37740	---------	37740

7 प्राप्त अनुदानों से ₹0.36 लाख अधिक व्यय करना:-

पंचायत सचिव भड़वार द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान ZP, MMGPY व SDP के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹3550, ₹25000 व ₹7980 इन अनुदानो में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से **₹0.36 लाख** अधिक खर्च किए गए। जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

7.1 अनुदान ₹14.75 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव भड़वार द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1475298** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :101 दिनांक 26-04-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भड़वार को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।अत : अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹10.44 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹1043700** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :102 दिनांक 26-04-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भड़वार को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। ,जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 क्रय की गई ₹14.65 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर **₹1465075** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत पंजाहडा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली उत्तरदाई से करके पंचायत निधि में जमा की जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : - 103 दिनांक 26.04.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भड़वार को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4.	डाक टिकट रजिस्टर
5.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
6.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7.	रसीद बुक प्राप्ति एवं जारी रजिस्टर
8.	खाताबही
9.	मस्ट्रोल रजिस्टर
10	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

13 मस्ट्रोल को निर्माण कमेटी द्वारा सत्यापित न करवाने बारे:-

अंकेक्षण द्वारा जाँच में पाया गया कि चयनित माह में अधिकतर मस्टररोलों को निर्माण कमेटी द्वारा सत्यामित नहीं किया गया था जिसके अभाव में किए गए भुगतान कि सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि आपत्तीजनक था। अतः मस्टररोलों को निर्माण कमेटी द्वारा सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

15 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)114/2017–खण्ड–1–6424–6427 दिनाँक,25.10.17
शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत भड़वार, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881